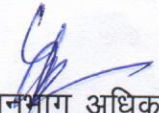


प्रश्न सं. [क. 3507]

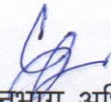
विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3507 का परिशिष्ट-1

अ.क्र.	स्थानांतरण आदेश क्र. दिनांक	स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का नाम	भारमुक्त करने का दिनांक एवं भारमुक्त न करने का कारण
1	वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक /F10-1/2019/10-4, dated 21.02.2019	सुश्री संध्याए भा.व.से. तत्कालीन वनमंडल अधिकारी कटनी	दिनांक 28/02/2019 को भारमुक्त
2	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ03-08/2019/10-1 भोपाल दिनांक 08/03/2019	श्री आई. पी. मिश्रा वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी डीमरखेड़ा	दिनांक 25/05/2019 को भारमुक्त
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा.-2/स्था.-1/उ.व.क्षे./2019/167 दिनांक 05/03/2019	श्री गोविंद नारायण शुक्ला उपवनक्षेत्रपाल तत्कालीन प्रभारी प.अ. कटनी	दिनांक 01/07/2019 को भारमुक्त
4	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 3-05/2019/10-1 भोपाल दिनांक 19/06/2019	श्री आर.एल. शर्मा स.व.सं. उपवनमंडल अधिकारी पश्चिम कटनी	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर.एल. शर्मा को याचिका क्र. WP 5675/2019 के संबंध में पारित आदेश द्वारा भारमुक्त किये जाने पर रोक के कारण भारमुक्त नहीं किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।


 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

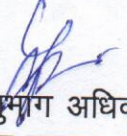
विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3507 का परिशिष्ट-2

क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	श्री आई.पी.मिश्रा, वनक्षेत्रपाल	ढीमरखेडा वन परिक्षेत्र अधिकारी आई.पी. मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार की जाँच कराने हेतु कूपो में श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों का कम दर भुगतान वर्ष 2018-19	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नि.स./984 दिनांक 22.04.2019 से जाँच हेतु उपवनमंडल अधिकारी पश्चिम कटनी को दी गई है।
2	श्री गोविन्द नारायण शुक्ला, उपवनक्षेत्रपाल	कटनी जिले के वन परिक्षेत्र प्रभारी श्री गोविन्द नारायण शुक्ला बहोरीबंद द्वारा 02 जुलाई 2017 में कराये गये वृक्षारोपण में गम्भीर अनियमितताये की गई। जिसकी जाँच कराये जाने बावत्।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नि.स./3845 दिनांक 09.07.2018 से शिकायत जाँच हेतु उपवनमंडल अधिकारी पूर्व को दी गई है।
3	श्री गोविन्द नारायण शुक्ला, उपवनक्षेत्रपाल	विभिन्न माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर निराकरण करने बावत् श्री जी.एन. शुक्ला, उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद जिला कटनी द्वारा की गई अनियमितताओं के चलते निलंबित कर विभागीय जाँच कराये जाने के निर्देश देने बावत्।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नि.स./841 दिनांक 14.03.2019 से शिकायत जाँच हेतु उपवनमंडल अधिकारी पूर्व कटनी को दी गई है।
4	श्री रामलाल शर्मा, उपवनमंडल अधिकारी कटनी पश्चिम	श्री रामलाल शर्मा, उपवनमंडल अधिकारी पश्चिम कटनी द्वारा श्री मो. खालिक वनपाल, एवं श्री अश्वनी शर्मा, वनरक्षक बीट गार्ड उचेहरा को गाली गलौच एवं जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग कर प्रताड़ित करने बावत्।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नि.स./711 दिनांक 06.07.2019 से मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3507 का परिशिष्ट-3

क्र.	वर्ष	अवैध उत्खनन	अवैध परिवहन	लकड़ी की चोरी	अवैध कटाई
1	2016	1	3	154	498
2	2017	0	1	158	572
3	2018	10	20	119	586
	Total	11	24	431	1656


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग